सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

178/24 प्रार्थना पत्र शीर्षक हजारीलाल बनाम सरकार

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
प्रा.प. दर्ज रजिस्टर कर सम्मन बनाम मुद्दा की मय नकल 136 नोटिस जारी कर वास्ते जवाब दि. 18.02.25 को पेश हो । सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	
18-2-25 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज प्रवास/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 19-5-25 को पेश हो।	
19.05.25 पत्रा० पेश हुयी अधि० प्रार्थी उप० विपक्षी गैरहाजिर अनु० प्रार्थी विपक्षी दि० 16.04.25 को पत्र / कथन [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] आदेश पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] [illegible] किया गया पत्रावली [illegible] अनुसार [illegible] नम्बर से कमी हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 178/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 04.12.2024
निर्णय दिनांक – 19.05.25

अनवान

1. हजारीलाल पिता अन्ना रेबारी निवासी फरारा तहसील व जिला राजसमन्द।

......................**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द।

...................**विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री जीतेन्द्र पालीवाल
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम उरी पटवार हल्का फरारा तहसील राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 2991, 2994, 2997, 3001, 3009, 3014, 3025, 3027, 3037, 3047, 3050, 3051, 3083, 3085, 3094, 3095, 3096, 3098, 3121, 3127, 3142, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3288, 3289, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, खसरा संख्या 3376, 4500/3377, आराजी संख्या 3033, 3034, 3035, 3079, 3080, 3081, 3082, 3107, 3129, आराजी संख्या 3089, आराजी संख्या 3004, आराजी संख्या 3090, 3091, आराजी संख्या 3010, आराजी संख्या 3089, आराजी संख्या 3109, 3110, 3111, 3112 भूमियो मे अन्ना पिता वागाजी की मृत्यु के बाद नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम गलती से हजारी की जगह हंजा लिख दिया। जो अभी तक राजस्व अभिलेखो मे हंजा के नाम से चल रहा है। उक्त सभी आराजीयात मे प्रार्थी का नाम हंजा पुत्री अन्ना रेबारी लिख दिया। प्रार्थी के आधारकार्ड में प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना रेबारी अंकित हैं। प्रार्थी के राशनकार्ड में भी प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना रेबारी अंकित हैं। प्रार्थी के निर्वाचन पहचान कार्ड में भी प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना अंकित हैं। प्रार्थी के गैस कनेक्शन की डायरी में भी प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना अंकित हैं। प्रार्थी के बैंक पास बुक में भी प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना अंकित हैं। प्रार्थी के स्कुल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना अंकित हैं। प्रार्थी के पेंशन भविष्य निधि दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना अंकित हैं। प्रार्थी के उपरोक्त सभी राजकीय दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम हजारीलाल पिता अन्ना रेबारी अंकित हैं। प्रार्थी सरकारी नौकरी में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में चौकीदार के पद पर कार्यरत रहा था और प्रार्थी के सरकारी नौकरी के दौरान सभी राजकीय दस्तावेजो में भी हजारी पिता अन्ना रेबारी नाम हीं रहा हैं। किन्तु उपरोक्त जिन खाता नम्बर का उल्लेख किया गया हैं, उन जमीनों में प्रार्थी का नाम हंजा पुत्री अन्ना रेबारी लिख देने के कारण प्रार्थी अपने हक अधिकारो से वंचित हो रहा हैं। प्रार्थी को अपने खाते की जमीनों पर बैंक से ऋण प्राप्त करनें, रहन, बय, बक्षीस करनें आदि सभी कार्यो में आधारकार्ड व जमाबन्दी में भिन्न भिन्न नाम होनें से भारी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। भविष्य में प्रार्थी के दिवंगत हो जानें पर उक्त भूमियों का नामान्तरकरण भी अपने वारिसों के नाम पर नहीं हो पायेगा और प्रार्थी अपने मौलिक अधिकारो से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उरी, पटवार हल्का फरारा, तहसील राजसमन्द के खाता संख्या नया 27 व पुराना 23 के खसरा संख्या 2991, 2994, 2997, 3001, 3009, 3014, 3025, 3027, 3037, 3047, 3050, 3051, 3083, 3085, 3094, 3095, 3096, 3098, 3121, 3127, 3142, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3288, 3289, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 एवं खाता संख्या नया 168 व पुराना 160 के खसरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

संख्या 3376, 4500/3377 एवं खाता संख्या नया 58 व पुराना 52 के खसरा संख्या 3033, 3034, 3035, 3079, 3080, 3081, 3082, 3107 व 3129 एवं खाता संख्या नया 29 व पुराना 25 के खसरा संख्या 3089 एवं खाता संख्या नया 57 व पुराना 51 के खसरा संख्या 3004 एवं खाता संख्या नया 28 व पुराना 24 के खसरा संख्या 3090, 3091 एवं खाता संख्या नया 60 व पुराना 54 के खसरा संख्या 3010 एवं खाता संख्या नया 29 व पुराना 25 के खसरा संख्या 3089 एवं खाता संख्या नया 120 व पुराना 52 के खसरा संख्या 3108, 3109, 3110, 3111, 3112 में अंकित हंजा पुत्री अन्ना रेबारी की जगह हजारीलाल पिता अन्ना रेबारी अंकित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सरकार की और से तहसीलदार राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र के क्रम मे जवाव/मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता अन्ना पिता वागा रेबारी की मृत्यु हो चुकी है। इनके वारिसान में 4 पुत्र किसना, सार्दुल, हरा व प्रार्थी स्वयं हजारी एवं एक पुत्री बदरी है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद ग्राम फरारा में नामान्तकरण संख्या 576 दायर होकर दिनांक 05.05.1989 को स्वीकृत हुआ था। अन्ना की विरासत से खाते में किसना, सार्दुल, हरा, हन्जा, पिता अन्ना, बदरी पुत्री अन्ना रेबारी के नाम लगे थे। जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 23 में हजा पिता अन्ना दर्ज है जबकि सेग्रीगेशन पश्चात जमाबन्दी सं. 2077–77 (वर्ष 2020 से रथाई) की खाता सं. 27 में हंजा पुत्री अन्ना दर्ज हो गया है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 160 व 161 से हन्जा पिता अन्ना रेबारी दर्ज है जबकि जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता सं. 168 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 52 में हन्जा पिता अन्ना दर्ज था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता संख्या 58 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 25 में हन्जा पिता अन्ना दर्ज था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता संख्या 29 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 51 में हन्जा पिता अन्ना दर्ज था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता संख्या 57 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 24 में हन्जा पिता अन्ना दर्ज था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता संख्या 28 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 54 में हन्जा पिता अन्ना दर्ज था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता संख्या 60 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। ग्राम उरी की जमाबन्दी सं. 2070–73 की खाता सं. 52 हन्जा पिता अन्ना दर्ज था, जबकि वर्तमान जमाबन्दी सं. 2077–77 की खाता संख्या 120 में हन्जा पुत्री अन्ना दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक व पीपीओ में प्रार्थी का नाम हजारीलाल है। मुताबिक पटवारी हल्का फरारा के ग्राम में परिवार एवं मौतबिरानों के समक्ष जांच एवं पर्चा मौका बनाया गया था। ग्राम में प्रार्थी हजारी लाल पुत्र अन्ना रेबारी के सिवाय इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति या महिला नहीं है। प्रार्थी को ग्राम में हन्जा व हजारी दौनो नाम से जाना व पहचाना जाता है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी को सुना जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम उरी, पटवार हल्का फरारा, तहसील राजसमन्द के खाता संख्या नया 27 व पुराना 23 के खसरा संख्या 2991, 2994, 2997, 3001, 3009, 3014, 3025, 3027, 3037, 3047, 3050, 3051, 3083, 3085, 3094, 3095, 3096, 3098, 3121, 3127, 3142, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3287, 3288, 3289, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 एवं खाता संख्या नया 168 व पुराना 160 के खसरा संख्या 3376, 4500/3377 एवं खाता संख्या नया 58 व पुराना 52 के खसरा संख्या 3033, 3034, 3035, 3079, 3080, 3081, 3082, 3107 व 3129 एवं खाता संख्या नया 29 व पुराना 25 के खसरा संख्या 3089 एवं खाता संख्या नया 57 व पुराना 51 के खसरा संख्या 3004 एवं खाता संख्या नया 28 व पुराना 24 के खसरा संख्या 3090, 3091 एवं खाता संख्या नया 60 व पुराना 54 के खसरा संख्या 3010 एवं खाता संख्या नया 29 व पुराना 25 के खसरा संख्या 3089 एवं खाता संख्या नया 120 व पुराना 52 के खसरा संख्या 3108, 3109, 3110, 3111, 3112 में अंकित हंजा पुत्री अन्ना रेबारी की जगह हजारीलाल पिता अन्ना रेबारी अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार राजस्व ग्राम उरी, पटवार हल्का फरारा, तहसील

राजसमन्द के खाता संख्या नया 27, 168, 58, 29, 57, 28, 60, 29, 120 मे वर्णित भूमियों मे प्रार्थी का हंजा पुत्री अन्ना रेबारी के नाम से सहखातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी उक्त नाम के बजाय अपना सही नाम हंजा पुत्री अन्ना रेबारी के बजाय हजारीलाल पुत्र अन्ना रेबारी करवाना चाहता है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत जवाब/मौका रिपोर्ट मे भी गत जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 मे प्रार्थी का नाम हंजा पिता अन्ना के नाम से दर्ज होना बताया गया है, एवं मौका जॉच अनुसार भी प्रार्थी का हंजा पिता अन्ना के बजाय हजारीलाल पुत्र अन्ना रेबारी किये जाने की टिप्पणी की है। अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम उरी, पटवार हल्का फरारा, तहसील राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के खाता संख्या नया 27, 168, 58, 29, 57, 28, 60, 29, 120 मे वर्णित भूमियों मे प्रार्थी का नाम हंजा पुत्री अन्ना रेबारी के बजाय हजारीलाल पुत्र अन्ना रेबारी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 19.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की सील मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द